Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपलू व दलाल 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *30 मई, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये हरिनारायण मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपलू, जिला टोंक एवं दलाल भंवर लाल (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बजरी परिवहन को निर्बाध रूप से चलने देने के लिये मासिक बन्धी के रूप में हरिनारायण मीणा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपलू, जिला टोंक द्वारा अपने दलाल भंवर लाल (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से **40 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल भंवर लाल उर्फ रोडू सरपंच पुत्र श्री रामलाल जाट निवासी झिराना, तहसील पीपलू, जिला टोंक (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरिनारायण मीणा पुत्र श्री विजय लाल निवासी ग्राम किशोरपुरा, पोस्ट बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना पीपलू, जिला टोंक को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।